

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
—::संकल्प::—

अररिया जिला के ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया के अधीन सिकटी प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—2 अन्तर्गत वर्ष 2020—21 (बैच—1) में T05-Nepal Border Jhala Chowk to Jakirparas Last Border पथ के चैनेज 33.20 km (package No-BR-01P2R-49) पर बकरा नदी पर निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल के संबंध में विभागीय निदेश के आलोक में निगरानी विभाग, पटना द्वारा तकनीकी परीक्षक कोषांग के चार सदस्यीय तकनीकी समिति से जॉच कराकर पत्रांक 5863 अनु० दिनांक 20.11.2024 द्वारा विस्तृत जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। साथ ही विभाग द्वारा विभागीय जॉच समिति, IIT, Patna, Avantech Engineering Consortium Pvt. Ltd, New Delhi एवं Testing & Research Institute (TRI), Patna से पुल के विभिन्न अवयवों की जॉच करायी गयी। जॉच के दौरान निर्माणाधीन पुल का एबटमेन्ट A2, Pier-P8, deck slab स्पैन P8-A2 तथा P7-P8 स्पैन पूर्णतः क्षतिग्रस्त पाया गया एवं जॉच में डी०पी०आर० निर्माण, तकनीकी बीड मूल्यांकन, मापीपुस्त की प्रविष्टि एवं गुणवत्ता संबंधी कई अनियमितताएँ पायी गयी।

2. जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्रीमती अलका साक्षी, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया, जो उक्त पुल निर्माण कार्य से संबद्ध थे, के विरुद्ध पुल निर्माण कार्य के महत्वपूर्ण अवयव यथा superstructure में निम्न गुणवत्ता का कार्य कराने एवं पुल निर्माण कार्य का समुचित पर्यवेक्षण नहीं करने आदि के आरोपों पर आरोप पत्र गठित किया गया तथा श्रीमती साक्षी को आरोप पत्र एवं आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय ज्ञापांक 520 अनु० दिनांक 14.01.2025 द्वारा अधिकतम एक पक्ष (15 दिनों) के अन्दर अपने बचाव का लिखित अभिकथन विभाग को समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्रीमती साक्षी द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 12.02.2025 विभाग को समर्पित किया गया, जो स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती साक्षी के विरुद्ध संलग्न आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों की गहन/विस्तृत जॉच के लिये बिहार सरकारी सेवक ('वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय—समय पर यथासंशोधित) के नियम—17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव श्रीमती अलका साक्षी, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री धनिक लाल मंडल, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्रीमती अलका साक्षी, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(आदित्य प्रकाश)

अवर सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :-2/अ०प्र०-1-76/2024

/पटना, दिनांक :-

**प्रतिलिपि :-**आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को 45 दिनों के अंदर समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।


  
अवर सचिव

ज्ञापांक :-2/अ०प्र०-1-76/2024

/पटना, दिनांक :-

**प्रतिलिपि :-**आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री धनिक लाल मंडल, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया/श्रीमती अलका साक्षी, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाँका-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त।

  
अवर सचिव

ज्ञापांक :-2/अ०प्र०-1-76/2024 ६०७३

/पटना, दिनांक :- ११-५-२५

**प्रतिलिपि :-**प्रशास्या पदाधिकारी-5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव